न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 28 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 79

वादीनी बनाम प्रतिवादी

निर्मल कंवर पत्नी राजेन्द्रपालसिंह
जाति राजपूत
निवासी कंवरली हाल एमटीएम स्कूल के पास बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.अमितकुमार पुत्र नारायणदास
जाति माहेश्वरी निवासी महेश्वरी कॉलोनी स्टेशन रोड़ बाड़मेर

2.उगमसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी खोखसर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

3.गायत्रीदेवी पत्नी भरतदास जाति संत निवासी चिरढाणी तहसील पचपदरा

4.गोविन्दसिंह पुत्र लिखमाराम
जाति राजपुरोहित निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

5.जयप्रकाश गोयल पुत्र रामकिशोर
जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा

6.जसराज पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी सारणों की बेरी,कालेवा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

7.प्रेमलता व्यास पत्नी मनोजकुमार व्यास जाति बाहम्रण निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

8.बहादूरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी अराबा चौहान तहसील कल्याणपुर

9.सांगसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी खोखसर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

10.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीनी

2.श्री वगताराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 9

3.श्री सुरेशकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित

4.प्रतिवादी संख्या 4 से 8 व 10 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 10/02/2025

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा चिरडाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 367/322 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 15.7.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक उभयपक्ष बंटवाड़ा करवाने के लिए सहमत है। ऐसी सूरत में विभाज़न प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा चिरडाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 367/322 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	बचिन्ह
	अमितकुमार पुत्र नारायणदास हिस्सा पूर्ण जाति महेश्वरी सा. बाड़मेर खातेदार	चिरडाणी	367/322	0.0253	B
2	गायत्रीदेवी पत्नी भरतदास हिस्सा पूर्ण जाति साद सा.देह खातेदार	चिरडाणी	367/322	0.0253	A

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3	उगमसिंह पुत्र हमीरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.खोखसर खातेदार	चिरडाणी	367 / 322	0.0177	C
4	सांगसिंह पुत्र हमीरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा..खोखसर खातेदार	चिरडाणी	367 / 322	0.0228	D
5	निर्मलकंवर पत्नी राजेन्द्रपालसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. कंवरली खातेदार	चिरडाणी	367 / 322	0.0506	E
6	शेष प्रतिवादीगण बदूस्तर जमाबंदी संवत 2079–2082 के खाता संख्या नया 71 पुराना 45 के अनुसार	चिरडाणी	367 / 322	0.8700	F

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 10/2/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

10/02/2025

1

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 28/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/79

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
निर्मल कंवर पत्नी राजेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी कंवरली हाल एमटीएम स्कूल के पास बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अमितकुमार पुत्र नारायणदास जाति माहेश्वरी निवासी महेश्वरी कॉलोनी स्टेशन रोड़ बाड़मेर 2.उगमसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी खोखसार तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 3.गायत्रीदेवी पत्नी भरतदास जाति संत निवासी चिरढाणी तहसील पचपदरा 4.गोविन्दसिंह पुत्र लिखमाराम जाति राजपुरोहित निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.जयप्रकाश गोयल पुत्र रामकिशोर जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा 6.जसराज पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी सारणों की बेरी,कालेवा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 7.प्रेमलता व्यास पत्नी मनोजकुमार व्यास जाति बाहम्रण निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 8.बहादूरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी अराबा चौहान तहसील कल्याणपुर 9.सांगसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी खोखसार तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 10.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 28 / 2024

निर्णय दिनांक :— 10.2.2025

वादीनी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 10.2.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**ः—वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 10.2.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख़ 10.2.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	————
जोड़	———	जोड़	————

10/02/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा